بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

साप्ताहिक क़ादियान

बदर

Weekly BADAR Qadian HINDI

संपादक
शेख मुजाहिदअहमद

उप संपादक
सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद

वर्ष- 11
अंक -25

Postal Reg. No.GDP -45/2026-2028

02 मोहर्रम 1447 हिज्री क़मरी, 18 अहसान 1405 हिज्री शम्सी, 18 जून 2026 ई.

अल्लाह तआला का आदेश

يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلُنَا يُبَيِّنُ لَـكُمۡ كَثِيۡرًا مِّمَّا كُنۡتُمۡ تُخۡفُوۡنَ مِنَ الۡكِتٰبِ وَيَعۡفُوۡا عَنۡ كَثِيۡرٍ ؕ قَدۡ جَآءَكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ نُوۡرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيۡنٌ ۙ﴿۱۶﴾ يَّهۡدِىۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَيَهۡدِيۡهِمۡ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۱۷﴾ (سورہ المائدۃ:16-17)

ऐ किताब वालों! निश्चय ही तुम्हारे पास हमारा वह रसूल आ चुका है जो तुम्हारे सामने उन बहुत-सी बातों को स्पष्ट रूप से खोलकर बयान कर रहा है जिन्हें तुम अपनी किताब में से छिपाया करते थे, और बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनसे वह केवल उपेक्षा कर रहा है।निश्चय ही तुम्हारे पास ख़ुदा तआला की ओर से एक प्रकाश आ चुका है और एक स्पष्ट तथा उज्ज्वल पुस्तक भी।ख़ुदा तआला उसके माध्यम से उन लोगों को, जो उसकी प्रसन्नता का अनुसरण करते हैं, शांति के मार्गों की ओर मार्गदर्शन देता है और अपने आदेश से उन्हें अंधकारों से निकालकर प्रकाश की ओर ले आता है तथा उन्हें सीधे मार्ग की ओर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

इस्लाम का विश्वव्यापी समानता और भाईचारे का संदेश

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की वाणी

عَنۡ اَبِیۡ نَضۡرَۃَ حَدَّثَنِیۡ مَنۡ سَمِعَ خُطۡبَۃَ رَسُوۡلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ فِیۡ وَسۡطِ اَیَّامِ التَّشۡرِیۡقِ فَقَالَ یَا اَیُّہَا النَّاسُ اَلَا اِنَّ رَبَّکُمۡ وَاحِدٌ وَاِنَّ اَبَاکُمۡ وَاحِدٌ. اَلَا لَا فَضۡلَ لِعَرَبِیٍّ عَلٰی عَجَمِیٍّ وَلَا لِعَجَمِیٍّ عَلٰی عَرَبِیٍّ وَلَا لِاَحۡمَرَ عَلٰی اَسۡوَدَ وَلَا لِاَسۡوَدَ عَلٰی اَحۡمَرَ اِلَّا بِالتَّقۡوٰی اَبَلَّغۡتُ؟ قَالُوۡا بَلَّغَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ: اَیُّ یَوۡمٍ ہٰذَا؟ قَالُوۡا: یَوۡمٌ حَرَامٌ. قَالَ: اَیُّ شَہۡرٍ ہٰذَا؟ قَالُوۡا: شَہۡرٌ حَرَامٌ. قَالَ: ثُمَّ اَیُّ بَلَدٍ ہٰذَا؟ قَالُوۡا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَاِنَّ اللّٰہَ قَدۡ حَرَّمَ بَیۡنَکُمۡ دِمَاءَکُمۡ وَاَمۡوَالَکُمۡ. قَالَ: وَلَا اَدۡرِیۡ. قَالَ اَوۡ بَلَدَکُمۡ ہٰذَا. اَبَلَّغۡتُ؟ قَالُوۡا: بَلَّغَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِیُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الۡغَائِبَ.

(मुस्नद अहमद, जिल्द 5, पृष्ठ 411; मुस्नद अहमद, जिल्द 1, पृष्ठ 230, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो से वर्णित)

अबू नदरा रज़ियल्लाहु अन्हो बयान करते हैं कि मुझे उस व्यक्ति ने बताया जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का वह ख़ुत्बा सुना था जो आपने हज्जतुल विदा के अवसर पर मिना के दिनों में दिया था। उसने बताया कि आपने अपने उस ख़ुत्बे में फ़रमाया:

"ऐ लोगो! तुम्हारा ख़ुदा एक है। तुम्हारा पिता एक है। याद रखो, किसी अरबवासी को किसी गैर-अरबवासी पर और किसी गैर-अरबवासी को किसी अरबवासी पर, तथा किसी गोरे या लाल रंग वाले को किसी काले रंग वाले पर और किसी काले रंग वाले को किसी गोरे या लाल रंग वाले पर किसी प्रकार की कोई श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है। हाँ, धर्मपरायणता और योग्यता ही श्रेष्ठता तथा प्राथमिकता का आधार हैं।

क्या मैंने यह महत्वपूर्ण संदेश पहुँचा दिया है?"लोगों ने ऊँची आवाज़ में निवेदन किया, "हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यह सत्य संदेश भली-भाँति पहुँचा दिया है।"

फिर आपने फ़रमाया, "यह कौन-सा दिन है?"लोगों ने उत्तर दिया, "यह (हज के दिनों का) अत्यन्त सम्मानित दिन है।"

शेष 11पर

ख़ुदा तआला के समक्ष जाति या वंश का कोई महत्व नहीं

हज़रत अकदस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उपदेश

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"ख़ुदा तआला के निकट तुममें सबसे अधिक सम्मान वाला वही है जो तुममें सबसे अधिक धर्मपरायण (तक़वा वाला) है। यह बिल्कुल झूठी बातें हैं कि मैं सैयद हूँ, या मुग़ल हूँ, या पठान हूँ, या शेख हूँ। यदि कोई अपनी ऊँची जाति या वंश पर गर्व करता है, तो यह गर्व व्यर्थ है। मृत्यु के बाद सभी जातियाँ और वंश समाप्त हो जाते हैं।

ख़ुदा तआला के समक्ष जाति या वंश का कोई विचार नहीं किया जाता और कोई व्यक्ति केवल किसी उच्च कुल में जन्म लेने के कारण मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया था कि 'ऐ फ़ातिमा! इस बात पर गर्व मत करो कि तुम एक नबी की पुत्री हो।'

ख़ुदा तआला के निकट जाति या वंश का कोई महत्व नहीं है। वहाँ जो उच्च पद और सम्मान प्राप्त होते हैं, वे धर्मपरायणता (तक़वा) के आधार पर प्राप्त होते हैं। ये जातियाँ और क़बीले संसार के सामाजिक व्यवहार और व्यवस्था के लिए हैं। उनका ख़ुदा तआला से कोई संबंध नहीं है।

ख़ुदा तआला की प्रेम-प्राप्ति धर्मपरायणता से होती है और धर्मपरायणता ही उच्च आध्यात्मिक पदों की प्राप्ति का कारण बनती है।"

(अल-हकम, जिल्द 6, संख्या 37, दिनांक 17 अक्तूबर 1902 ई., पृष्ठ 7)

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने एक ईसाई क़बीले को मस्जिद में उपासना की अनुमति दी

दीबाचा तफ़्सीरुल क़ुरआन

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख करते हुए फ़रमाते हैं:

"हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम धार्मिक सहिष्णुता पर अत्यन्त बल देते थे और स्वयं भी इस विषय में सर्वोच्च स्तर का उदाहरण प्रस्तुत करते थे।

यमन का एक ईसाई क़बीला आपसे धार्मिक विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए आया, जिसमें उनके बड़े-बड़े पादरी भी सम्मिलित थे। मस्जिद में बैठकर वार्ता आरम्भ हुई और वार्ता लंबी होती चली गई।

इस पर उस दल के एक पादरी ने कहा, 'अब हमारी प्रार्थना का समय हो गया है। हम बाहर जाकर अपनी प्रार्थना कर आएँ।'

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 'बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? आप हमारी मस्जिद में ही अपनी प्रार्थना कर लें। आखिर हमारी मस्जिद ख़ुदा तआला के स्मरण के लिए ही बनाई गई है।'"

(दीबाचा तफ़्सीरुल क़ुरआन, पृष्ठ 404)

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दो लिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण आप पर अपना फ़ज़ल नाज़िल करता रहे। आमीन

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ का शांति, न्याय और पारस्परिक सम्मान का सतत संदेश सम्पूर्ण विश्व में प्रभाव डाल रहा है

ग्रेग स्टैफर्ड सांसद (Greg Stafford MP)

जमाअत अहमदिया ब्रिटेन का 19वाँ पीस सिम्पोज़ियम, 16 मई 2026

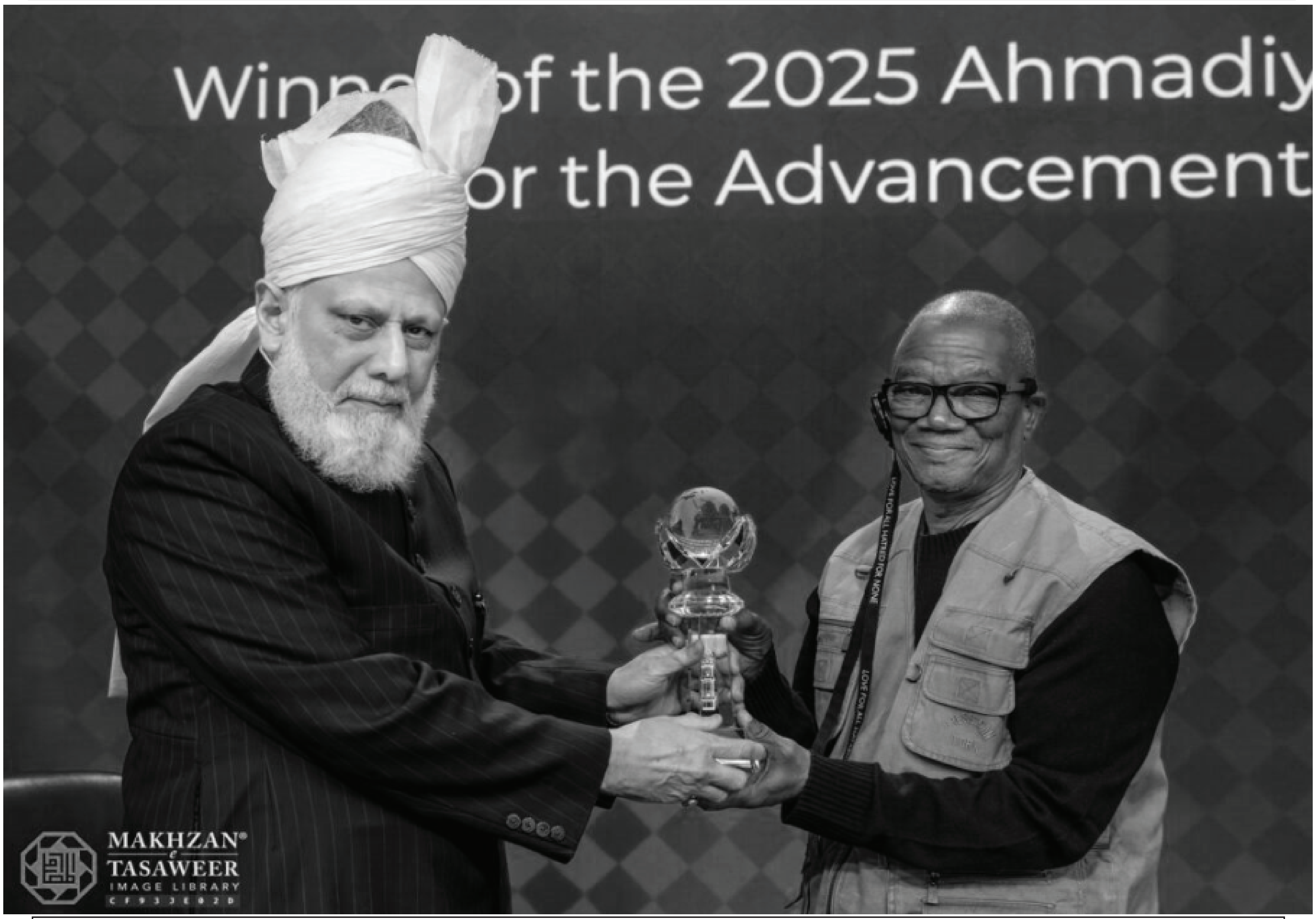

जमाअत अहमदिया ब्रिटेन का 19वाँ पीस सिम्पोज़ियम 16 मई 2026 को ऐवान-ए-मसरूर, इस्लामाबाद में आयोजित हुआ था। इस अवसर पर हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ स्वयं पधारे थे और आपने अपने ज्ञानवर्धक तथा दूरदर्शी संबोधन से उपस्थित श्रोताओं को लाभान्वित किया था।

हुज़ूर अनवर के संबोधन का सारांश पिछली संख्या में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस अंक में पीस सिम्पोज़ियम की शेष रिपोर्ट अल-फ़ज़्ल इंटरनेशनल दिनांक 24 मई 2026 के सौजन्य से प्रस्तुत की जा रही है।

प्रस्तुत चित्र में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, Gregoire Ahongbonon को अहमदिया शांति पुरस्कार प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बेनिन, अफ्रीका के Gregoire Ahongbonon को अहमदिया शांति पुरस्कार का अधिकारी घोषित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार पश्चिमी अफ्रीका में मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए किए गए उनके प्रयासों की सराहना स्वरूप प्रदान किया गया।

उनकी सेवाओं और प्रयासों के संबंध में एक संक्षिप्त वीडियो भी प्रदर्शित की गई। इसके बाद उन्होंने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के मुबारक हाथों से पुरस्कार तथा दस हजार पाउंड का पुरस्कार-चेक प्राप्त किया।

इसके पश्चात वे मंच पर आए और फ्रांसीसी भाषा में अपना संबोधन प्रस्तुत किया, जिसका सहज अंग्रेज़ी अनुवाद भी साथ-साथ सुनाया गया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने पर गहरी कृतज्ञता व्यक्त की तथा पश्चिमी अफ्रीका में मानसिक रोगियों की कठिनाइयों का उल्लेख किया। अंत में उन्होंने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ और जमाअत अहमदिया का धन्यवाद किया।

स्वागत भाषण तथा विशिष्ट अतिथियों के संक्षिप्त संबोधन

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के संबोधन से पूर्व, सम्माननीय अमीर साहिब यूके ने स्वागत भाषण दिया, जबकि कुछ अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी संक्षिप्त भाषण प्रस्तुत किए, जिनका विवरण निम्नलिखित है।

स्वागत भाषण: सम्माननीय रफ़ीक़ अहमद हयात साहिब

(अमीर जमाअत अहमदिया यूके)

सम्माननीय अमीर साहिब ने सभी का स्वागत करने के बाद कहा कि आज यहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और संस्थाओं से जुड़े लोग एकत्रित हुए हैं। यदि हम विश्व में स्थायी शांति स्थापित करना चाहते हैं तो सभी को मिलकर एकता, सामंजस्य और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देना होगा।

वर्तमान समय में विश्व एक अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दुनिया के अनेक क्षेत्रों में अशांति और संघर्ष पाए जाते हैं। बच्चे अपनी जानें गंवा रहे हैं और राष्ट्र आपसी मतभेदों तथा टकराव में उलझे हुए हैं।

शेष पृष्ठ 10 पर

ख़ुत्बः जुमअः

“कभी मनुष्य किसी ऐसी विपत्ति में फँस जाता है कि उस समय झूठ के अतिरिक्त उसे मुक्ति और सफलता का कोई अन्य उपाय दिखाई नहीं देता। तब उस समय उसकी परीक्षा ली जाती है कि क्या उसकी प्रकृति में सत्य है या असत्य। और क्या उस नाज़ुक समय में उसकी जिह्वा पर सत्य ही जारी होता है या वह अपने प्राण, सम्मान और धन की चिंता करके झूठ बोलने लगता है। इस प्रकार के उदाहरण इस विनीत के सामने अनेक बार आए हैं।” (हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम)

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मौ'मेनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 01 मई 2026 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَہٗ لَا شَرِيكَ لَہٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُلِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّا كَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ

आज मैं सत्य पर हर परिस्थिति में दृढ़ता से चलने, उस पर कठोरता के साथ अमल करने और इस संबंध में विरोधियों को भी चुनौती देने के कुछ प्रसंग आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सच्चे सेवक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जीवन और चरित्र से प्रस्तुत करूँगा।

सबसे पहले,

आपके एक बड़े विरोधी मुहम्मद हुसैन बटालवी साहिब, जिन्होंने आप पर काफ़िर और झूठा होने का आरोप लगाया था, उनके इस आरोप के उत्तर में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो उत्तर दिया था, उसे प्रस्तुत करता हूँ। यह इतना स्पष्ट, खुला और चुनौतीपूर्ण उत्तर है कि यदि कोई न्यायपूर्ण दृष्टि से देखे तो इन आरोपों पर कभी विश्वास ही नहीं कर सकता। लेकिन जब आँखों पर पट्टी बँधी हो तो प्रकाश दिखाई नहीं देता। आजकल के मौलवियों की भी यही स्थिति है।

एक बार मुहम्मद हुसैन बटालवी साहिब ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को एक पत्र लिखा और उसमें आपको इस्लाम धर्म का विरोधी, काफ़िर और झूठा आदि बताया। नऊज़ूबिल्लाह। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मौलवी साहिब के इस पत्र का विस्तार से उत्तर देते हुए लिखा कि

“यदि आप सत्य के खोजी बनकर मेरे जीवन-वृत्त पर दृष्टि डालें तो आपके सामने ठोस प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो सकती है कि ख़ुदा तआला ने सदैव मुझे झूठ की अपवित्रता से सुरक्षित रखा है। यहाँ तक कि कई बार अंग्रेज़ी अदालतों में मेरा जीवन और सम्मान ऐसे संकट में पड़ गया कि झूठ का सहारा लेने के अतिरिक्त किसी वकील ने मुझे कोई और उपाय नहीं बताया।”

सबने यही कहा कि यदि झूठ बोलोगे तभी काम बनेगा।

“किन्तु अल्लाह जल्ल शानहु की कृपा से मैं सत्य के लिए अपने जीवन और सम्मान तक का त्याग करने को तैयार हो गया। अनेक बार केवल सत्य के कारण मैंने बड़े-बड़े आर्थिक नुकसान उठाए और अनेक बार केवल ख़ुदा तआला के भय से अपने पिता तथा अपने भाई के विरुद्ध भी गवाही दी, किन्तु सत्य का दामन नहीं छोड़ा।”

आप फ़रमाते हैं कि

“इस गाँव में तथा बटाला में भी” अर्थात क़ादियान और बटाला में “मेरा एक लंबा जीवन व्यतीत हुआ है, परन्तु कौन सिद्ध कर सकता है कि कभी मेरे मुख से झूठ निकला हो?

फिर जब मैंने केवल ख़ुदा तआला की प्रसन्नता के लिए मनुष्यों पर झूठ बोलना प्रारम्भ से ही छोड़ रखा और बार-बार अपने प्राण तथा धन को सत्य पर बलिदान किया, तो फिर मैं ख़ुदा तआला पर क्यों झूठ बोलूँगा...?”

बटालवी साहिब ने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि

“झूठ बोलना और धोखा देना आपका ऐसा स्वभाव बन गया है मानो वह आपकी प्रकृति का एक अंग हो।”

नऊज़ूबिल्लाह।

जबकि वास्तविकता यह थी कि यह स्वयं मौलवी साहिब का स्पष्ट झूठ और मिथ्या आरोप था, जिसके समर्थन में उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। अतः हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसके उत्तर में लिखा

“शेख साहिब! जो व्यक्ति धर्मपरायण और वैध जन्म वाला हो, वह सबसे पहले तो बिना पूर्ण जाँच-पड़ताल के अपने भाई पर किसी पाप या कुफ़्र का आरोप लगाने का साहस नहीं करता। और यदि लगाए भी तो ऐसा पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करता है कि देखने वालों के लिए मानो दिन निकाल देता है।

अतः यदि आप इन दोनों गुणों से युक्त हैं तो आपको उस सर्वशक्तिमान, महान प्रतापी ख़ुदा की क़सम है, जिसकी क़सम दिए जाने पर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम भी विशेष ध्यान से उत्तर दिया करते थे, कि आप अपने विचारानुसार मेरे भीतर इन दोनों दोषों को सिद्ध करके दिखाएँ। प्रथम यह कि मैं इस्लाम धर्म का विरोधी और काफ़िर हूँ, और द्वितीय यह कि मेरा स्वभाव झूठ बोलना है।”

दो आरोप लगाए जाते हैं एक यह कि मैं काफ़िर हूँ, मुसलमान नहीं। अच्छा, इसे सिद्ध करो। दूसरा यह कि मैं झूठा हूँ। इसे भी सिद्ध करो।

आप आगे फ़रमाते हैं

“आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि स्वप्नों में सबसे अधिक सत्य वही होता है जो अपनी बातों में सबसे अधिक सत्यवादी होता है। इस हदीस में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सत्यवादी की यह पहचान बताई है कि उसके स्वप्नों में सत्य की प्रधानता होती है।

और अभी आप यह दावा कर चुके हैं कि मैं हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान रखता हूँ। अतः यदि आपने यह बात कपट से नहीं कही और वास्तव में आप आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान रखते हैं तथा जानते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपने कथन में सत्यवादी हैं, तो आइए हम और आप इस प्रकार एक-दूसरे की परीक्षा कर लें कि इस कसौटी के अनुसार कौन सत्यवादी सिद्ध होता है और किसकी प्रकृति में झूठ है।

इसी प्रकार अल्लाह जल्ल शानहु क़ुरआन-ए-करीम में फरमाता है

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔

अर्थात उनके लिए इस सांसारिक जीवन में भी ख़ुदा की ओर से शुभ-संदेश और पुरस्कार निर्धारित है।

अर्थात यह ईमान वालों की एक विशेषता है कि दूसरों की अपेक्षा उनके स्वप्न अधिक सत्य सिद्ध होते हैं।

और आप अभी यह दावा भी कर चुके हैं कि मैं क़ुरआन-ए-करीम पर ईमान रखता हूँ। बहुत अच्छा! आइए, क़ुरआन-ए-करीम के अनुसार भी परीक्षा कर लें कि ईमान वाले की पहचान किसमें है।

ये दोनों परीक्षाएँ इस प्रकार हो सकती हैं कि बटाला, लाहौर या अमृतसर में एक सभा निर्धारित कर ली जाए और दोनों पक्षों के स्वप्नों के गवाह उसमें उपस्थित हो जाएँ। फिर हम दोनों में से जो व्यक्ति निश्चित और ठोस प्रमाणों द्वारा अपने स्वप्नों में अधिक सत्य सिद्ध हो, उसके विरोधी को झूठा, दज्जाल, काफ़िर, अत्यन्त काफ़िर, शापित अथवा जो भी उपयुक्त नाम निर्धारित किए जाएँ, उसी समय वह उपाधि दे दी जाए।

और यदि आप पूर्व के प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ हों, तो मैं स्वीकार करता हूँ, बल्कि आपको छह महीने की मोहलत देता हूँ कि आप कुछ समाचार-पत्रों में अपने ऐसे स्वप्न प्रकाशित करा दें जो भविष्य की बातों पर आधारित हों। मैं भी केवल

अतीत के प्रमाण प्रस्तुत करने पर संतुष्ट नहीं रहूँगा, बल्कि आपके मुकाबले में, इन शा अल्लाह, अपनी भविष्यवाणी वाले स्वप्न भी प्रकाशित कराऊँगा।

और जिस प्रकार आपका दावा है कि मैं क़ुरआन-ए-करीम और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान रखता हूँ, यही मेरा भी दावा है कि मैं तन-मन से इस प्रिय नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और इस प्रिय पुस्तक क़ुरआन-ए-करीम पर ईमान रखता हूँ।

अब इस निशानी के द्वारा परीक्षा की जाएगी कि अपने दावे में सत्य कौन है और असत्य कौन है।

यदि मैं इस कसौटी के अनुसार, जिसे आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और क़ुरआन-ए-करीम ने निर्धारित किया है, पराजित रहा, तो आप सच्चे ठहरेंगे और मैं आपके कथनानुसार काफ़िर, दज्जाल, बेईमान, शैतान, झूठा और मिथ्या आरोप लगाने वाला सिद्ध होऊँगा।

और उस स्थिति में आपके वे सभी दूषित विचार भी सत्य सिद्ध होंगे कि मानो मैंने 'बराहीन अहमदिया' में छल किया, लोगों का धन खाया, दुआ की स्वीकृति के वादे पर लोगों से धन लिया और अनुचित कमाई से जीवन व्यतीत किया।

लेकिन यदि ख़ुदा तआला की वह कृपा, जो ईमान वालों, सत्यवादियों और धर्मनिष्ठ लोगों को प्राप्त होती है, मुझे सच्चा सिद्ध कर दे, तो फिर आप बताइए कि ये सब उपाधियाँ आपकी मौलवीय प्रतिष्ठा के अधिक योग्य होंगी या तब भी आपके लिए बच निकलने का कोई मार्ग शेष रहेगा?"

यह एक खुली चुनौती है।

"आपने मुझे बहुत दुःख पहुँचाया और सताया। मैं धैर्य करता रहा, किन्तु आपने उस सर्वशक्तिमान सत्ता का तनिक भी भय नहीं किया जो आपके अंतरतम को जानती है।

उसने मुझे भविष्यवाणी के रूप में आपके विषय में और फिर आपके विचारों वाले लोगों के विषय में यह सूचना दी

اِنِّیْ مُہِیْنٌ مَّنْ اَرَادَ اِہَانَتَکَ

अर्थात 'मैं उस व्यक्ति को अपमानित करूँगा जो तेरा अपमान करने का प्रयास करेगा।'

अतः निश्चित रूप से समझ लो कि वह समय निकट है जब ख़ुदा तआला इन सभी आरोपों में तुम्हें झूठा सिद्ध कर देगा और जो अपमान तथा लज्जा मिथ्या आरोप लगाने वालों और झूठ गढ़ने वालों के भाग्य में आती है, वह सब तुम्हारे हिस्से में आएगी।

तुम्हारा दावा है कि मैं क़ुरआन-ए-करीम और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान रखता हूँ।

यदि तुम इस कथन में सच्चे हो तो परीक्षा के लिए मैदान में आओ, ताकि ख़ुदा तआला स्वयं हमारा और तुम्हारा निर्णय कर दे, और जो झूठा तथा दज्जाल है वह काला-मुँह होकर रह जाए।

इस समय मेरे हृदय से सत्य की सहायता के लिए एक बात निकलती है और मैं उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि वह मेरे अपने मन की नहीं बल्कि रब्बानी प्रेरणा है, जो अत्यन्त बलपूर्वक उमड़ रही है।

वह यह है कि जबकि तुमने मुझे काफ़िर ठहराया और झूठ बोलना मेरी प्रकृति का विशेष गुण बताया है, तो अब तुम्हें अल्लाह जल्ल शानहु की क़सम है कि उपर्युक्त विधि के अनुसार तुरंत मेरे मुकाबले में आ जाओ, ताकि देखा जाए कि क़ुरआन-ए-करीम और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के कथन के अनुसार झूठा, दज्जाल और काफ़िर कौन सिद्ध होता है।"

(आइना कमालात-ए-इस्लाम, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 5, पृष्ठ 289 से 295)

इसी क्रम में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह भी फ़रमाया

"इसके अतिरिक्त एक और बात भी सत्यवादियों की परीक्षा का साधन बन जाती है, जिसे ख़ुदा तआला स्वयं उत्पन्न करता है, और वह यह है कि

कभी मनुष्य किसी ऐसी विपत्ति में फँस जाता है कि उस समय झूठ के अतिरिक्त उसे मुक्ति और सफलता का कोई अन्य उपाय दिखाई नहीं देता। तब उस समय उसकी परीक्षा ली जाती है कि उसकी प्रकृति में सत्य है या असत्य।"

मौलवी साहिब ने लिखा था कि आपकी प्रकृति में ही झूठ और असत्य भरा हुआ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह तो परीक्षा के समय पता चलता है कि कोई व्यक्ति सत्यवादी है या झूठा।

"और क्या उस नाज़ुक समय में उसकी जिह्वा पर सत्य ही रहता है या वह अपने प्राण, सम्मान और धन के भय से झूठ बोलने लगता है। इस प्रकार की घटनाएँ इस विनीत के साथ अनेक बार घट चुकी हैं, जिनका पूरा वर्णन करना बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी इस उद्देश्य से तीन उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ

कि यदि इसी प्रकार की सत्य की परीक्षा के अवसर आपको भी कभी प्राप्त हुए हों, तो आपको अल्लाह जल्ल शानहु की क़सम है कि आप उन्हेंप्रमाणों सहित अवश्य प्रकाशित करें, ताकि यह ज्ञात हो सके कि आपका दावा केवल दावा ही नहीं, बल्कि परीक्षा और विपत्ति की चक्की में पिसकर भी आपने सत्य का दामन नहीं छोड़ा।"

अर्थात आपने कभी झूठ नहीं बोला। यदि ऐसा है तो यह दावा कीजिए और मुकाबले में आइए।

अपनी मिसाल में आपने कुछ घटनाएँ बताई हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि मैं तीन उदाहरण देता हूँ।

पहला उदाहरण

"इनमें से एक घटना यह है कि

मेरे पिता साहिब के देहांत के बाद मिर्ज़ा अज़म बेग साहिब लाहौरी ने क़ादियान की साझी संपत्ति के हिस्सेदारों की ओर से मुझ पर और मेरे स्वर्गीय भाई मिर्ज़ा गुलाम क़ादिर पर ज़िला अदालत में संपत्ति के अधिकार का मुक़दमा दायर कर दिया।

मैं स्पष्ट रूप से जानता था कि उन हिस्सेदारों का उस संपत्ति से वास्तव में कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वह एक ऐसी खोई हुई संपत्ति थी जो सिखों के समय नष्ट हो चुकी थी। मेरे पिता साहिब ने अकेले मुक़दमे लड़कर उस संपत्ति तथा अन्य गाँवों को वापस प्राप्त करने के लिए लगभग आठ हज़ार रुपये खर्च किए थे, जबकि उन हिस्सेदारों ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया था।

इन मुक़दमों के दौरान जब मैंने विजय के लिए दुआ की तो मुझे यह इल्हाम हुआ

اُجِیْبُ کُلَّ دُعَآئِکَ اِلَّا فِیْ شُرَکَآئِکَ

अर्थात 'मैं तेरी हर दुआ स्वीकार करूँगा, परन्तु साझेदारों के विषय में नहीं।'

अर्थात जो दुआ तुम इस मामले में कर रहे हो, वह स्वीकार नहीं होगी।

"जब मुझे यह इल्हाम हुआ तो मैंने अपने भाई और अपने सभी स्त्री-पुरुष संबंधियों को, जिनमें से कुछ आज भी जीवित हैं, एकत्र किया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि साझेदारों के विरुद्ध मुक़दमा मत लड़ो। यह ख़ुदा तआला की इच्छा के विरुद्ध है।"

अल्लाह तआला नहीं चाहता कि हम यह मुक़दमा करें।

"लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अंततः असफल हुए। मेरी ओर से हज़ारों रुपये का नुकसान सहने का निश्चय दिखाई दिया।"

अर्थात मैंने धन का नुकसान सह लिया, पर अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहा। जब अल्लाह तआला ने रोक दिया था तो मैंने मुक़दमा नहीं लड़ा।

"और जो लोग आज मेरे विरोधी हैं, वे भी इसके गवाह हैं।"

कि मैंने यह मुक़दमा नहीं लड़ा।

"चूँकि सारी ज़मींदारी का प्रबंध मेरे भाई के हाथ में था, इसलिए मैंने बार-बार उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना और अंततः नुकसान उठाया।"

अर्थात वे मुक़दमा हार गए।

दूसरा उदाहरण

आपने यह दिया कि

"लगभग पंद्रह या सोलह वर्ष, या शायद इससे भी कुछ अधिक समय पहले, इस विनीत ने इस्लाम की सहायता में आर्यों के मुकाबले एक ईसाई के छापेखाने में, जिसका नाम रेलिया राम था, जो वकील भी था और अमृतसर में रहता था तथा उसका एक समाचार-पत्र भी निकलता था, प्रकाशन के लिए एक लेख भेजा।

वह लेख एक ऐसे पैकेट में भेजा गया था जिसकी दोनों ओर से खुली व्यवस्था थी। उसी पैकेट में मैंने एक पत्र भी रख दिया।

चूँकि उस पत्र में ऐसे शब्द थे जिनमें इस्लाम की पुष्टि और अन्य धर्मों के असत्य होने की ओर संकेत था तथा लेख को शीघ्र छापने की भी ताकीद थी, इसलिए वह ईसाई धार्मिक विरोध के कारण क्रोधित हो गया।

संयोग से उसे मेरे विरुद्ध आक्रमण का एक अवसर मिल गया, क्योंकि कानून के अनुसार पैकेट में अलग से पत्र रखना अपराध था। मुझे इस कानून की कोई जानकारी नहीं थी।

इस अपराध की सज़ा डाक कानूनों के अनुसार पाँच सौ रुपये जुर्माना या छह

महीने तक कारावास थी।

अतः उसने मुखबिर बनकर डाक अधिकारियों से मेरे विरुद्ध मुक़दमा दायर करवा दिया।

मगर इससे पहले कि मुझे इस मुक़दमे की कोई सूचना मिलती, ख़ुदा तआला ने स्वप्न में मुझ पर प्रकट किया कि रेलिया राम वकील ने मुझे डसने के लिए एक साँप भेजा है, और मैंने उसे मछली की तरह तलकर वापस भेज दिया है।

मैं जानता हूँ कि यह इस ओर संकेत था कि अंततः अदालत में इस मुक़दमे का जो निर्णय हुआ, वह ऐसी मिसाल बन गया जो वकीलों के भी काम आ सकती है।

संक्षेप में, मुझे इस अपराध के आरोप में ज़िला गोरदासपुर के प्रधान अधिकारी के सामने बुलाया गया।

जिन-जिन वकीलों से सलाह ली गई, उन सभी ने यही राय दी कि झूठ बोले बिना कोई रास्ता नहीं है।

उन्होंने सलाह दी कि यह बयान दे दो कि हमने पैकेट में पत्र नहीं रखा, बल्कि रेलिया राम ने स्वयं रख दिया होगा।

और उन्होंने यह तसल्ली भी दी कि ऐसा बयान देने से मामला गवाही पर निर्भर हो जाएगा और दो-चार झूठे गवाह खड़े करके बरी हो जाओगे, अन्यथा बच निकलने की कोई संभावना नहीं है।"

अर्थात बचने का और कोई उपाय नहीं था।

"लेकिन मैंने उन सबको उत्तर दिया कि मैं किसी भी स्थिति में सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहता। जो होगा, सो होगा।"

देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा।

"उसी दिन या अगले दिन मुझे एक अंग्रेज़ अधिकारी की अदालत में पेश किया गया। मेरे मुकाबले में डाक विभाग का एक अधिकारी सरकारी अभियोजक के रूप में उपस्थित था।

न्यायाधीश ने अपने हाथ से मेरा बयान लिखना आरम्भ किया और सबसे पहला प्रश्न यही किया

क्या यह पत्र तुमने अपने पैकेट में रखा था? और क्या यह पत्र तथा पैकेट तुम्हारा है?

मैंने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया

हाँ, यह पत्र भी मेरा है और पैकेट भी मेरा है। मैंने ही यह पत्र पैकेट के भीतर रखकर भेजा था। लेकिन मैंने यह कार्य सरकार को डाक शुल्क की हानि पहुँचाने की नीयत से नहीं किया था।"

अर्थात टिकट के पैसे बचाने के लिए नहीं किया था।

"बल्कि मैंने इस पत्र को उस लेख से अलग नहीं समझा था और उसमें कोई निजी बात भी नहीं थी।"

कोई व्यक्तिगत बात तो लिखी नहीं थी।

"यह सुनते ही ख़ुदा तआला ने उस अंग्रेज़ न्यायाधीश का हृदय मेरी ओर फेर दिया।"

वह न्यायाधीश अंग्रेज़ था।

"मेरे सामने डाक विभाग के अधिकारी ने बहुत शोर मचाया और अंग्रेज़ी में लंबे-लंबे भाषण दिए, जिन्हें मैं समझता नहीं था। लेकिन इतना अवश्य समझता था कि प्रत्येक भाषण के बाद वह अंग्रेज़ न्यायाधीश उसकी हर बात को 'नहीं, नहीं' कहकर अस्वीकार कर देता था।

अंततः जब वह अधिकारी अपनी सारी दलीलें दे चुका और जो कुछ कहना था कह चुका, तब न्यायाधीश ने निर्णय लिखना प्रारम्भ किया।

शायद एक या डेढ़ पंक्ति लिखने के बाद उसने मुझसे कहा

अच्छा, आप जा सकते हैं।

यह सुनकर मैं अदालत से बाहर निकला और अपने वास्तविक उपकारी अर्थात अल्लाह तआला का धन्यवाद किया,

जिसने एक अंग्रेज़ अधिकारी के मुकाबले में..."

दूसरा पक्ष भी अंग्रेज़ अधिकारी ही था, जो विभाग की ओर से मुक़दमा लड़ रहा था।

"मुझे विजय प्रदान की।

मैं भली-भाँति जानता हूँ कि उस समय सत्य की बरकत से ख़ुदा तआला ने मुझे उस विपत्ति से बचाया।

इससे पहले मैंने एक स्वप्न भी देखा था कि एक व्यक्ति मेरी टोपी उतारने के लिए हाथ बढ़ाता है। मैंने पूछा क्या करने लगे हो?

तब उसने टोपी मेरे सिर पर ही रहने दी और कहा 'कोई बात नहीं, सब अच्छा है।'"

तीसरा उदाहरण

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं

"एक और उदाहरण यह है कि मेरे पुत्र सुल्तान अहमद ने एक हिंदू के विरुद्ध यह मुक़दमा दायर किया कि उसने हमारी भूमि पर मकान बना लिया है, और मकान गिराने की माँग की गई थी।

मुक़दमे की कार्यवाही में एक ऐसी बात थी जो वास्तविकता के विरुद्ध थी। यदि वह सिद्ध हो जाती तो मुक़दमा ख़ारिज हो जाता।

और यदि मुक़दमा ख़ारिज हो जाता तो केवल सुल्तान अहमद ही नहीं, बल्कि मुझे भी संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ता।

तब विरोधी पक्ष ने अवसर पाकर मेरी गवाही लिखवा ली।"

उन्होंने कहा कि इन्हें गवाह बना लेते हैं, जो ये कहेंगे वही मान लेंगे।

"मैं बटाला गया और तहसील बटाला के निकट बाबू फ़तहुद्दीन सब-पोस्टमास्टर के घर ठहरा।

मुक़दमा एक हिंदू न्यायाधीश के पास था, जिसका नाम अब याद नहीं रहा। वह एक पैर से लंगड़ा भी था।

उसी समय सुल्तान अहमद का वकील मेरे पास आया और पूछा

अब पेशी का समय है, आप क्या बयान देंगे?

मैंने कहा

वही बयान दूँगा जो वास्तविक और सत्य है।

यह सुनकर उसने कहा

फिर आपके अदालत जाने की क्या आवश्यकता है? मैं वापस जाता हूँ।"

यदि आप सत्य बोलेंगे तो मुक़दमा समाप्त हो जाएगा।

"ताकि मैं मुक़दमे से हाथ खींच लूँ।

अतः मैंने केवल सत्य की रक्षा के लिए अपने ही हाथों से वह मुक़दमा बिगाड़ दिया और अल्लाह तआला की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सत्यवादिता को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक नुकसान को तुच्छ समझा।"

मैंने अल्लाह तआला की प्रसन्नता को चुना।

"ये अंतिम दोनों उदाहरण भी बिना प्रमाण के नहीं हैं।

पहली घटना के गवाह शेख़ अली अहमद वकील गोरदासपुर और सरदार मुहम्मद हयात ख़ान साहिब सी.एस.आई. हैं, और उस मुक़दमे का रिकॉर्ड भी गोरदासपुर कार्यालय में मौजूद होगा।

दूसरी घटना के गवाह बाबू फ़तहुद्दीन, वह वकील जिसका नाम इस समय मुझे याद नहीं, तथा वह न्यायाधीश हैं जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ, जो शायद अब लुधियाना में स्थानांतरित हो चुका है।

संभवतः उस मुक़दमे को लगभग सात वर्ष बीत चुके होंगे।

हाँ, अब याद आया कि उस मुक़दमे का एक गवाह नबी बख़्श पटवारी बटाला भी है।

अब ऐ शेख़ साहिब!"

अर्थात मौलवी साहिब को संबोधित करते हुए आप फ़रमाते हैं

"यदि आपके पास भी ऐसी ही कठिन परीक्षा का कोई उदाहरण हो, जिसमें आपको यह दिखाई दिया हो कि सत्य बोलने की स्थिति में आपका जीवन, सम्मान या धन नष्ट हो जाएगा, और फिर भी आपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा तथा धन और प्राण की कोई परवाह नहीं की, तो ख़ुदा के लिए वह घटना उसके पूर्ण प्रमाणों सहित प्रस्तुत कीजिए।

अन्यथा मेरा तो यह विश्वास है कि इस युग के अधिकांश मुल्ला और मौलवियों की बातें केवल बातें ही हैं।

वरना वे एक पैसे के लिए भी अपना ईमान बेचने को तैयार हैं।

क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अंतिम युग के मौलवियों को सबसे निकृष्ट प्राणी बताया है।

और आपके मुजद्दिद नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान मरहूम 'हुज्जजुल किरामह' में स्वीकार कर चुके हैं कि अंतिम युग यही युग है।

अतः ऐसे मौलवियों का धर्मपरायणता और पवित्रता का दावा बिना प्रमाण स्वीकार करना आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के कथन का खंडन करने के

समान होगा।

इसलिए आप कोई उदाहरण प्रस्तुत करें।

यदि प्रस्तुत न कर सकें तो सिद्ध हो जाएगा कि आपके पास केवल सत्यवादिता का दावा है।

और कोई भी दावा परीक्षा के बिना स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होता।

आपकी आंतरिक स्थिति ख़ुदा तआला ही जानता है कि आप कभी झूठ और मिथ्या आरोप की अपवित्रता में लिप्त हुए हैं या नहीं।

या वे लोग जानते होंगे जो आपके हालात से परिचित हैं।

जो व्यक्ति परीक्षा के समय सत्यवादी सिद्ध होता है और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, उसके सत्य पर मुहर लग जाती है।

यदि यह मुहर आपके पास भी है तो उसे प्रस्तुत कीजिए, अन्यथा ख़ुदा तआला से डरिए।

ऐसा न हो कि वह आपका पर्दा खोल दे।"

(आइना कमालात-ए-इस्लाम, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 5, पृष्ठ 296 से 301)

जिस मुक़दमे का उल्लेख हुआ था,

मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहिब ने मकान गिराने (मसमारी मकान) का जो दावा किया था, उसकी विस्तार से यह भी व्याख्या लिखी गई है कि

एक हिंदू डिप्टी शंकर दास, जो जम्मू रियासत में एक सरकारी पद पर कार्यरत रहा था, उसने क़ादियान में मस्जिद अक्सा की पूर्वी दिशा में स्थित एक परित्यक्त भूमि पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ मकान बना लिया। बाद में उसी स्थान पर सदर अंजुमन अहमदिया के कार्यालय स्थापित हुए।

मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहिब ने उस मकान को गिराने का मुक़दमा दायर किया था, लेकिन मुक़दमे की तैयारी में एक ऐसी बात थी जो वास्तविकता के विरुद्ध थी। यदि वह बात सिद्ध हो जाती तो मुक़दमा ख़ारिज (Dismiss) हो जाता और केवल मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहिब को ही नहीं, बल्कि स्वयं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी नुकसान पहुँचता, क्योंकि उस भूमि के स्वामित्व संबंधी अधिकार समाप्त हो जाते।

विरोधी पक्ष अर्थात शंकर दास उस भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं था, किन्तु उसका उस पर कब्ज़ा अवश्य था। वह मालिक तो नहीं था, लेकिन उसने भूमि पर अधिकार कर रखा था। कानूनी दृष्टि से विरोधी पक्ष इसी बात का लाभ उठाना चाहता था।

उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को गवाही के लिए बुलवाया, क्योंकि कठोर विरोधी होने के बावजूद वे जानते थे कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब कभी झूठ नहीं बोलेंगे और अदालत में यह बयान दे देंगे कि भूमि पर कब्ज़ा वास्तव में विरोधी पक्ष का ही है और उसे ऐसा करते हुए काफी समय बीत चुका है।

और हुआ भी यही।

जब साहबज़ादा मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहिब को ज्ञात हुआ कि विरोधी पक्ष ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की गवाही बुलवाई है, तो वे भी जानते थे कि हुज़ूर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए उन्होंने मुक़दमा ही वापस ले लिया।

(माख़ूज़ अज़ हयात अहमद, जिल्द 2, भाग प्रथम, पृष्ठ 102-103 तथा जिल्द 3, पृष्ठ 91; असहाब-ए-अहमद, जिल्द 6, पृष्ठ 42, हाशिया)

बहरहाल,

उस ऊँची हवेली जैसे भवन का इतिहास भी यह है कि

उसे डिप्टी शंकर दास की हवेली कहा जाता था। वह अत्यंत कट्टर और विरोधी व्यक्ति था, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ।

उसके इस ऊँचे भवन से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के घरों की गोपनीयता भी प्रभावित होती थी। यह भी मुक़दमा चलाने का एक कारण था।

उसकी विरोधिता का यह हाल था कि जब नमाज़ी नमाज़ के लिए मस्जिद अक्सा जाते थे, तो वह डिप्टी अपने घर के दरवाज़े पर बैठ जाता और आने-जाने वालों को गालियाँ दिया करता था। वह उन्हें कष्ट पहुँचाने और सताने के अनेक उपाय अपनाता था।

जब उसके अत्याचारों से पीड़ित लोग अपने स्वामी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर आते, तो आप बड़े दृढ़ संकल्प और गौरव के साथ उन्हें धैर्य बँधाते और फ़रमाते

"धैर्य रखो। शाही शिविर के सामने कोई टिक नहीं सकता। उसने अपना एक डेरा लगाया हुआ है, लेकिन हमारा शिविर भी शाही शिविर है। यह अल्लाह तआला का शिविर है। इसके सामने कोई ठहर नहीं सकेगा।"

फिर देखने वालों ने देखा और सुनने वालों ने सुना कि उसका अर्थात डिप्टी साहिब का हँसता-बसता घर उजड़ना शुरू हो गया।

अंततः वह भी वहाँ से बीमारी या किसी अन्य कारण से चला गया। बाद में यह भवन हज़रत शेख याक़ूब अली साहिब इरफ़ानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़रीद लिया और 1932 ईस्वी में उसी भवन में सदर अंजुमन अहमदिया के कार्यालय स्थापित किए गए।

उसका उद्घाटन भी मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया।

बहरहाल,

यह ख़ुदा तआला की शक्ति है कि जो व्यक्ति कल तक बड़े घमंड से अपने घर के सामने से मस्जिद की ओर जाने वाले किसी नमाज़ी को भी गुजरने नहीं देता था, आज ख़ुदा तआला की तक़्दीर ने उसका नामोनिशान मिटा दिया और उसके पूरे घर तथा उस पूरे क्षेत्र को मस्जिद का भाग बना दिया। आज वह मस्जिद अक्सा का हिस्सा है।

(तारीख़-ए-अहमदियत, जिल्द 2, पृष्ठ 215 तथा जिल्द 5, पृष्ठ 298-299; हयात अहमद, जिल्द 5, भाग द्वितीय, पृष्ठ 230; अल-फ़ज़्ल क़ादियान, अंक 130, जिल्द 19, दिनांक 3 मई 1932, पृष्ठ 5, स्तम्भ 1-2; मुजद्दिद-ए-आज़म, भाग प्रथम, पृष्ठ 38, हाशिया)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सत्यनिष्ठा और सत्य पर आधारित इस गवाही की कितनी महान बरकत है कि आपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उसके मुकाबले में न तो पारिवारिक सम्मान और प्रतिष्ठा की परवाह की और न ही भूमि और संपत्ति के नष्ट हो जाने की चिंता की। मानो आपने अपने हाथों से यह सब कुछ बलिदान कर दिया।

किन्तु ख़ुदा तआला ने इस बलिदान को इस प्रकार स्वीकार किया और ऐसी महिमा तथा बरकत प्रदान की कि आज मीनारतुल मसीह के ठीक नीचे वह स्थान एकमात्र उपास्य ख़ुदा तआला के इबादत-गृह के रूप में आबाद है।

मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु उस वकील साहिब के बारे में, जो इस मुक़दमे की पैरवी कर रहे थे, बयान करते हैं

"उस समय अधिकांश मुक़दमों में आपकी ओर से शेख अली अहमद साहिब वकील, गोरदासपुरी, पैरवी किया करते थे। आपकी पवित्र जीवन-शैली को देखकर, दावा किए जाने के बाद भी, यद्यपि वे अहमदी नहीं थे, फिर भी आपके प्रति बहुत अच्छा विचार रखते थे।

उन्होंने आपसे कहा कि कोई दूसरा गवाह तो है नहीं। फिर वह पत्र भी उसी लेख से संबंधित है"

यह पहला डाक वाला मुक़दमा था

"और उसे विज्ञापन का ही एक भाग कहा जा सकता है।"

डाक वाले मुक़दमे की व्याख्या मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे हैं।

वे कहते हैं

"इसलिए आप बिना झूठ बोले यह कह सकते हैं कि मैंने तो केवल विज्ञापन भेजा था, कोई अलग पत्र नहीं भेजा।"

लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और फ़रमाया

"यह नहीं हो सकता।"

सत्य की जो सूक्ष्मता है, उसके विरुद्ध यह बात थी। आपने वास्तव में पत्र भी रखा था। यद्यपि वह लेख का ही एक भाग था, फिर भी वह पत्र था।

इसलिए आपने कहा

"जो कार्य मैंने किया है, उसका इंकार मैं कैसे कर सकता हूँ?"

चुनाँचे जब आप अदालत में उपस्थित हुए और अदालत ने पूछा

"क्या आपने लेख के साथ कोई पत्र भी रखा था?"

तो आपने उत्तर दिया

"हाँ।"

इस सत्यनिष्ठा का प्रभाव केवल लोगों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि स्वयं अदालत पर भी इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने आपको बरी कर दिया और कहा

"केवल एक तकनीकी अपराध के लिए ऐसे सत्यवादी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता।"

(ख़ुत्बात-ए-महमूद, जिल्द 17, पृष्ठ 543)

इसी डाक वाले मुक़दमे के वकील का उल्लेख करते हुए हज़रत शेख याक़ूब अली साहिब इरफ़ानी रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं

"मुझे शेख अली अहमद साहिब वकील ने स्वयं बताया।"

अब यह स्वयं वकील का बयान है, जो उन्होंने शेख याक़ूब अली साहिब इरफ़ानी रज़ियल्लाहु अन्हु को सुनाया।

उन्होंने मुक़दमे की घटनाएँ बताते हुए कहा

"यह मुक़दमा अंतिम बार दीना नगर में पेश हुआ था।

मैंने बहुत प्रयत्न किया कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब यह कह दें कि वह पत्र पैकेट में नहीं रखा गया था।

मेरे विचार में इसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता था कि वह पत्र उसी पैकेट से निकला था। उसके संबंध में गवाही भी मजबूत नहीं थी।

धार्मिक विरोध के कारण स्वयं लाला रेलिया राम की गवाही भी विशेष महत्व नहीं रखती थी।

मैं जितना अधिक आग्रह करता था, उतना ही अधिक हज़रत मिर्ज़ा साहिब इंकार करते थे।

मैंने उन्हें बार-बार डराया कि परिणाम अच्छा नहीं होगा और व्यर्थ ही एक सम्मानित परिवार पर आपराधिक मुक़दमे में सज़ा पाने का दाग लग जाएगा।

अब तो मामला पूरी तरह आपके विरुद्ध जा रहा है।"

लेकिन वकील साहिब कहते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मेरी बात नहीं मानी।

मैंने सोचा कि यदि मेरी पैरवी में मुक़दमा हार गया तो परिवार की ओर से मेरी बड़ी बदनामी होगी।

इसलिए जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दृढ़ता से कहा कि मैं इसका इंकार नहीं करूँगा, तो मैंने कहा

"यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं आपकी पैरवी नहीं करूँगा। फिर मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता।"

मेरा विचार था कि मुक़दमे में सज़ा हो जाएगी और तब लोग कहेंगे कि वकील की सलाह के विरुद्ध कार्य करने के कारण ऐसा हुआ।

वकील साहिब को भी पूरा विश्वास था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को सज़ा हो जाएगी।

यदि सज़ा हो जाती तो लोग कहते कि यह कैसा वकील था जो मुक़दमा ठीक प्रकार प्रस्तुत नहीं कर सका।

इसलिए मैंने कहा कि मैं अदालत में उपस्थित ही नहीं होऊँगा।

अपनी बदनामी के भय से मैं नाराज़ होकर उपस्थित नहीं हुआ और मेरी अनुपस्थिति में मुक़दमा चल गया।

लेकिन वकील साहिब स्वयं कहते हैं

"मेरी आश्चर्य की सीमा न रही जब मुक़दमा खारिज हो गया।

फिर मुझे अफ़सोस हुआ कि मैं व्यर्थ ही उस सफलता का भागीदार बनने से रह गया, लेकिन तब तक समय निकल चुका था।"

शेख अली अहमद साहिब इस घटना को सुनाते समय हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दृढ़ता और सत्यनिष्ठा की अत्यधिक प्रशंसा किया करते थे।

उनके संबंध इस परिवार के साथ जीवन भर बने रहे।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी सामान्यतः प्रत्येक मुक़दमे में उनसे परामर्श लेना पसंद करते थे और उनका सम्मान करते थे।

(माख़ूज़ अज़ हयात अहमद, जिल्द 1, भाग तृतीय, पृष्ठ 363-364)

इन्हीं विभिन्न मुक़दमों का उल्लेख करते हुए हज़रत शेख नूर अहमद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं

"मेरे पिता साहिब और ताऊ साहिब कहा करते थे कि हमारा गाँव हज़रत मिर्ज़ा साहिब की ज़मींदारी के अंतर्गत था।

कुछ समय तक हुज़ूर अपने पिता साहिब के मुख़्तार रहे और हमारे साथ भी अनेक पेशियों में अदालत जाया करते थे।

आप सदैव सत्य का पक्ष लेते थे, चाहे उससे मुक़दमे को कितना ही नुकसान क्यों न पहुँच जाए।

संक्षेप में, आप सत्य को कभी हाथ से नहीं जाने देते थे।"

अर्थात झूठ को अपने निकट भी नहीं आने देते थे।

(सीरत अहमद, लेखनी हज़रत कुदरतुल्लाह सनूरी साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु, पृष्ठ 63)

हज़रत मियाँ अल्लाह यार साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि

एक बार जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आयु लगभग पच्चीस-तीस वर्ष थी, तो आपके पिता साहिब का अपने मौरूसी काश्तकारों के साथ पेड़ काटने के विषय में विवाद हो गया।

आपके पिता का विचार था कि भूमि के स्वामी होने के कारण पेड़ भी हमारी संपत्ति हैं। इसलिए उन्होंने उन लोगों पर मुक़दमा कर दिया और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मुक़दमे की पैरवी के लिए गोरदासपुर भेजा।

आपके साथ दो गवाह भी थे।

जब आप नहर पार करके पत्थाना वाला गाँव पहुँचे तो रास्ते में कुछ विश्राम के लिए बैठ गए और अपने साथियों से कहा

"अब्बा जान यूँ ही ज़बरदस्ती करते हैं। पेड़ भी तो खेती की तरह होते हैं। ये गरीब लोग हैं। यदि उन्होंने काट लिया तो क्या हानि है?

बहरहाल, मैं अदालत में यह नहीं कह सकता कि ये पूरी तरह हमारी ही संपत्ति हैं। हाँ, इनमें हमारा हिस्सा अवश्य हो सकता है।"

मौरूसी काश्तकारों को भी आप पर अत्यधिक विश्वास था।

जब मजिस्ट्रेट ने उनसे वास्तविक स्थिति पूछी, जबकि वे पीढ़ियों से खेती करते चले आ रहे थे, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया

"स्वयं मिर्ज़ा साहिब से पूछ लीजिए।"

अर्थात वे जानते थे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलेंगे।

चुनाँचे मजिस्ट्रेट ने आपसे पूछा।

आपने फ़रमाया

"मेरे विचार में पेड़ खेती की तरह हैं। जिस प्रकार खेती में हमारा हिस्सा है, उसी प्रकार पेड़ों में भी हमारा हिस्सा है।"

आपके इस बयान पर मजिस्ट्रेट ने काश्तकारों के पक्ष में निर्णय दे दिया।

जब आप वापस क़ादियान आए तो हज़रत मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा साहिब ने आपके साथ गए एक व्यक्ति से पूछा

"क्या निर्णय हुआ?"

उसने उत्तर दिया "मैं तो बाहर था। हज़रत मिर्ज़ा साहिब अंदर गए थे, वही बता सकते हैं।"

इस पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया गया।

आपने पूरी घटना बिना किसी कमी-बेशी के सुना दी।

यह सुनकर आपके पिता साहिब अत्यंत नाराज़ हुए।

(माख़ूज़ अज़ तारीख़-ए-अहमदियत, जिल्द 1, पृष्ठ 72-73 तथा 78)

बहरहाल, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सत्यनिष्ठा के संबंध में मैंने ये कुछ घटनाएँ प्रस्तुत की हैं।

एक घटना तो बहुत विस्तार से चली है, जिसमें एक ग़लत प्रकार के मौलवी द्वारा लगाए गए आरोपों का हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने विस्तृत उत्तर दिया है।

बहरहाल, आपने सदैव सत्य को प्राथमिकता दी और कभी झूठ के निकट भी नहीं गए।

इसी प्रकार आपने अपने अनुयायियों को भी हमेशा यही शिक्षा दी कि सत्य पर दृढ़ रहो।

बल्कि बैअत की शर्तों में भी यह लिखा हुआ है कि हम झूठ से घृणा करेंगे और सत्य पर दृढ़ रहेंगे।

(माख़ूज़ अज़ मजमूआ इश्तिहारात, जिल्द प्रथम, पृष्ठ 206, संस्करण 2019)

अतः

हमारा भी यह कर्तव्य है कि सत्यनिष्ठा के इस गुण को अपनी विशेष पहचान बना लें।

अल्लाह तआला हमें इसकी तौफ़ीक़ प्रदान फरमाए। आमीन।

★ ★ ★

हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का पवित्र जीवन

(हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद[रज़ि.] जमाअत अहमदिया के द्वितीय ख़लीफ़ा)

क़ुरैश के व्यापारिक दल का आगमन तथा बदर का युद्ध[1]

हिजरत (प्रवास) के तेरहवें माह में शाम से एक व्यापारी-दल अबू सुफ़ियान के नेतृत्व में आ रहा था कि उसकी सुरक्षा के बहाने मक्का वालों ने एक शक्तिशाली सेना मदीने की ओर ले जाने का निर्णय किया। रसूले करीम (स.अ.व.) को भी इसकी सूचना प्राप्त हो गई तथा ख़ुदा तआला की ओर से आप पर वह्यी हुई। अब समय आ गया है कि शत्रु के अत्याचार का उत्तर उसी के शस्त्र से दिया जाए। अतः आप मदीना के थोड़े से साथियों को लेकर निकले। आप जब मदीना से निकले हैं तो उस समय तक यह स्पष्ट न था कि क्या मुक़ाबला व्यापारी दल से होगा या सुनिश्चित सेना से। इसलिए आप के साथ मदीना से तीन सौ लोग निकले।

यह नहीं समझना चाहिए कि व्यापारी दल से अभिप्राय माल से लदे हुए ऊँट थे अपितु मक्का वाले उन दलों के साथ एक शक्तिशाली सैनिक दल भिजवाया करते थे क्योंकि वे उन दलों के माध्यम से मुसलमानों को आतंकित भी करना चाहते थे। अतः इस व्यापारी दल से पूर्व इतिहास में दो दलों की चर्चा आती है कि उनमें से एक की सुरक्षा पर दो सौ सैनिक नियुक्त थे तथा दूसरे की सुरक्षा पर तीन सौ सैनिक नियुक्त थे। अतः इन परिस्थितियों में ईसाई लेखकों का यह लिखना कि तीन सौ सिपाही लेकर आप मक्का के एक शस्त्रविहीन क़ाफ़िले को लूटने के लिए निकले थे मात्र धोखा देना है। यह क़ाफ़िला चूंकि बहुत बड़ा था इसलिए पहले क़ाफ़िलों के सुरक्षा-दलों की संख्या को देखते हुए यह समझना चाहिए कि उसके साथ चार-पाँच सौ सवार अवश्य होंगे। इतने विशाल सुरक्षा-दल के साथ मुक़ाबला करने के लिए यदि इस्लामी सेना जो केवल तीन सौ लोगों पर आधारित थी, जिनके साथ पूरा समान भी न था निकली तो उसे लूट का नाम देना मात्र पक्षपात, द्वेष, हठ और अन्याय ही की संज्ञा दी जा सकती है। यदि केवल इस क़ाफ़िले का प्रश्न होता तब भी उस से लड़ाई युद्ध ही कहलाता और युद्ध भी आत्मरक्षात्मक युद्ध क्योंकि मदीने की सेना दुर्बल थी और केवल इसी उपद्रव को दूर करने के लिए निकली थी जिस से आस-पास के क़बीलों को उपद्रव करने पर उकसा कर मक्का के क़ाफ़िले फ़साद और दंगों की नींव रख रहे थे, परन्तु जैसा कि क़ुर्आन करीम से विदित होता है ख़ुदा की इच्छा भी थी कि क़ाफ़िले से नहीं अपितु मक्का का मूल सेना से मुकाबला हो और केवल मुसलमानों की वफ़ादारी और उन के ईमान को दर्शाने के लिए पहले से इस बात को प्रकट न होने दिया गया। जब मुसलमान पूर्ण तैयारी के बिना मदीना से निकल खड़े हुए तो कुछ दूर जाकर रसूले करीम (स.अ.व.) ने सहाबा[रज़ि.] पर स्पष्ट किया कि ख़ुदा की यही इच्छा है कि मक्का की असल सेना से ही सामना हो। सेना के संबंध में मक्का से जो सूचनाएं आ चुकी थीं उन से विदित होता था कि सेना की संख्या एक हज़ार से अधिक है और फिर वे सभी प्रशिक्षित अनुभवी सैनिक थे। रसूले करीम (स.अ.व.) के साथ आने वाले लोग मात्र तीन सौ तेरह (313) थे तथा उनमें से बहुत से ऐसे थे जो युद्ध कला से अपरिचित थे फिर उनके पास युद्ध सामग्री भी पूरी न थी। अधिकांश या तो पैदल थे या ऊँटों पर सवार थे, घोड़ा केवल एक था। इस छोटी सी सेना के साथ जो साधन विहीन भी थी, एक अनुभवी शत्रु का मुकाबला जो संख्या में उनसे तीन गुना से भी अधिक था अत्यन्त ख़तरनाक बात थी। इसलिए आप ने न चाहा कि कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध के लिए विवश किया जाए। अतः आप ने अपने साथियों के समक्ष यह प्रश्न प्रस्तुत किया कि अब क़ाफ़िले का कोई प्रश्न नहीं केवल सेना का ही मुक़ाबला किया जा सकता है और यह कि वे (साथी) इस संबंध में आप को परामर्श दें। एक के पश्चात् एक मुहाजिर (प्रवासी) खड़ा हुआ और उसने कहा— हे अल्लाह के रसूल! यदि शत्रु हमारे घरों पर चढ़ आया है तो हम उस से भयभीत नहीं, हम उसका मुक़ाबला करने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक का उत्तर सुनकर आप यही फ़रमाते चले जाते मुझे और परामर्श दो— मुझे और परामर्श दो। उस समय तक मदीने के लोग चुप थे इसलिए कि आक्रमणकारी सेना मुहाजिरों की सम्बन्धी (रिश्तेदार) थी। उन्हें शंका थी कि कहीं ऐसा न हो कि उनकी बात से मुहाजिरों के हृदय को आघात पहुँचे। जब रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने बार-बार फ़रमाया— मुझे परामर्श दो तो एक अन्सारी (मदीना-निवासी मुसलमान) सरदार खड़े हुए और कहा— हे अल्लाह के रसूल ! परामर्श तो आप को मिल रहा है परन्तु फिर भी आप[स.] जो परामर्श मांग रहे हैं तो कदाचित आप का संकेत हम मदीना निवासियों की ओर है। आप[स.] ने फ़रमाया— हाँ ! उस सरदार ने उत्तर में कहा— हे अल्लाह के रसूल ! कदाचित आप हमारा परामर्श इसलिए मांग रहे हैं कि आप के मदीना आने से पूर्व हमारे और आप के मध्य एक समझौता हुआ था और वह यह था कि यदि मदीना में आप पर या मुहाजिरों पर किसी ने आक्रमण किया तो हम आप की रक्षा करेंगे, परन्तु इस समय मदीना से बाहर निकल आए हैं और कदाचित वह समझौता इन परिस्थितियों के अन्तर्गत क़ायम नहीं रहता। हे अल्लाह के रसूल ! जिस समय वह समझौता हुआ था उस समय तक हम पर आप[स.] की वास्तविकता पूर्णतया स्पष्ट नहीं हुई थी, परन्तु अब जब कि हम पर आप[स.] का स्थान और आप की शान पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चकी है। हे अल्लाह के रसूल ! अब उस समझौते का कोई प्रश्न नहीं। हम मूसा[अ.] के साथियों की भांति आप से यह नहीं कहेंगे—

اِذْھَبْ اَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا اِنَّا ھٰھُنَا قَاعِدُوْنَ

तू और तेरा रब्ब जाओ और शत्रु से युद्ध करते फिरो हम तो यहीं बैठे हैं।

अपितु हम आप के दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे और पीछे भी लड़ेंगे। हे अल्लाह के रसूल ! शत्रु जो आप को हानि पहुँचाने पर कटिबद्ध है वह आप तक नहीं पहुँच सकता जब तक हमारी लाशों को रौंदता हुआ न गुज़रे। हे अल्लाह के रसूल ! युद्ध तो एक साधारण बात है, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर समुद्र है आप हमें आदेश दीजिए कि समुद्र में अपने घोड़े डाल दो, हम निःसंकोच अपने घोड़े समुद्र में डाल देंगे।[1] यह वह श्रद्धा, त्याग और बलिदान का आदर्श था जिसका उदाहरण कोई पूर्वकालीन नबी प्रस्तुत नहीं कर सकता। मूसा[अ.] के साथियों का उदाहरण तो उन्होंने स्वयं ही दे दिया था। हज़रत मसीह के हवारियों ने शत्रु के मुक़ाबले में जो नमूना दिखाया इन्जील उस पर गवाह है। एक हवारी ने तो कुछ रुपयों के बदले अपने उस्ताद (हज़रत मसीह) को बेच दिया, दूसरे ने उस पर फटकार डाली और दस हवारी उसे छोड़ कर इधर-उधर भाग गए परन्तु मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के साथी केवल डेढ़ वर्ष की संगति के पश्चात ईमान में इतने दृढ़ हो गए कि वे उनके कहने पर समुद्र में कूद पड़ने के लिए भी तैयार थे।

यह परामर्श केवल इस उद्देश्य से था ताकि जो लोग ईमान में निबल हों उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी जाए। परन्तु जब मुहाजिर और अन्सार ने एक-दूसरे से बढ़कर वफ़ादारी और ईमान का आदर्श प्रस्तुत किया और दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि वे ख़ुदा के वादों के अनुसार शत्रु से केवल एक तिहाई(⅓) होने के बावजूद, संसाधनों की दृष्टि से शत्रु से कई गुना कम होने के बावजूद निर्लज्जता दिखाते

हुए युद्ध से पीठ नहीं दिखाएंगे अपितु ख़ुदा तआला के धर्म का स्वाभिमान प्रदर्शित करते हुए रणभूमि में सहर्ष प्राणों का बलिदान देंगे। अतः आप[स.] आगे बढ़े। आप जब बदर के स्थान पर पहुँचे तो एक सहाबी के परामर्श से शत्रु के निकट जा कर बदर के झरने पर इस्लामी सेना उतार दी गई, परन्तु इस प्रकार यद्यपि पानी पर तो क़ब्ज़ा हो गया परन्तु वह मैदान जो मुसलमानों के भाग में आया रेतीला होने के कारण युद्ध की गतिविधियों के लिए अत्यन्त हानिप्रद सिद्ध हुआ तथा सहाबा घबरा गए। रसूले करीम (स.अ.व.) सारी रात दुआ करते रहे और ख़ुदा से बार-बार विनय करते थे कि हे मेरे रब्ब ! समस्त संसार में केवल यही लोग तेरी उपासना करने वाले हैं। हे मेरे रब्ब ! यदि आज ये लोग इस युद्ध में मारे गए तो संसार में तेरा नाम लेने वाला कोई शेष न रहेगा[1]। अल्लाह तआला ने आपकी दुआएं सुनीं और रात को वर्षा हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस मैदान में मुसलमान थे वह रेतीला होने के कारण वर्षा से जम गया और काफ़िरों का चिकनी मिट्टी वाला मैदान वर्षा के कारण अत्यधिक फिसलन वाला हो गया। कदाचित मक्का के काफ़िरों ने इस मैदान में मुसलमानों से पूर्व पहुँच जाने के बावजूद इस मैदान को इसलिए चुना था कि सख़्त मिट्टी के कारण उस में युद्ध संबंधी गतिविधियां नितान्त सरलतापूर्वक हो सकती थीं और सामने का रेतीला मैदान इसलिए छोड़ दिया था कि मुसलमान वहाँ डेरा लगा लेंगे तथा युद्ध संबंधी कार्यवाहियां करते समय उनके पैर रेत में धंस-धंस जाएंगे, परन्तु ख़ुदा तआला ने रातों-रात पासा पलट दिया। रेतीला मैदान एक ठोस मैदान बन गया और ठोस मैदान फिसलन वाली भूमि बन गई। रात को अल्लाह तआला ने आपको शुभ सन्देश दिया और बताया कि तुम्हारे अमुक-अमुक शत्रु मारे जाएंगे और अमुक-अमुक स्थान पर मर कर गिरेंगे। अतः युद्ध में ऐसा ही हुआ तथा वह शत्रु आपके बताए हुए उन्हीं स्थानों पर मारे गए। जब सेना एक दूसरे के मुकाबले पर खड़ी हुई, उस समय सहाबा[रज़ि] ने जिस श्रद्धा का प्रदर्शन किया उस पर निम्नलिखित उदाहरण से भली-भांति प्रकाश पड़ता है।

इस्लामी सेना में कुछ अनुभवी सेनानी थे। उनमें से एक हज़रत 'अब्दुर्रमान बिन औफ़' भी थे जो मक्का के सरदारों में से थे। वह वर्णन करते हैं कि मेरा विचार था कि आज मुझ पर बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। इस विचार से मैंने अपने दाएं-बाएं देखा तो मुझे विदित हुआ कि मेरे दाएं-बाएं मदीना के दो नौजवान लड़के हैं। तब सीने में मेरा हृदय बैठ गया और मैंने कहा कि वीर सेनानी लड़ने के लिए इस बात का मुहताज होता है कि उस का दायां और बायां पहलू दृढ़ हो ताकि वह शत्रुओं की पंक्तियों में निर्भीकता से घुस सके, परन्तु मेरे पास तो मदीने के दो ऐसे लड़के हैं जिन्हें कोई अनुभव भी नहीं। अपने युद्ध-कौशल का प्रदर्शन किस प्रकार कर सकूँगा। अभी यह विचार मेरे हृदय में आया ही था कि मेरे एक पहलू में खड़े हुए लड़के ने मेरी पसली में कुहनी मारी। जब मैंने उसकी ओर ध्यान दिया तो उसने मेरे कान में कहा— चाचा हम ने सुना है अबू जहल रसूलुल्लाह (स.अ.व.) को बहुत दुःख दिया करता था। चाचा ! मेरा दिल चाहता है कि मैं आज उसके साथ मुक़ाबला करूँ। आप मुझे बताएं वह कौन है? वह कहते हैं कि अभी मैं उत्तर नहीं दे पाया था कि मेरे दूसरे पहलू में खड़े दूसरे साथी ने कुहनी मारी और जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो उसने भी आहिस्ता से मुझ से वही प्रश्न किया। वह कहते हैं— मैं उनकी इस दिलेरी पर स्तब्ध रह गया क्योंकि अनुभवी सिपाही होने के बावजूद मैं सोच भी नहीं सकता था कि सेना के सेनापति पर अकेले आक्रमण कर सकता हूँ। वह कहते हैं मैंने उन के इस प्रश्न पर उंगली उठाई और कहा— वह व्यक्ति जो सर से पैर तक सशस्त्र है और शत्रुओं की पंक्तियों के पीछे खड़ा है तथा जिसके आगे दो अनुभवी सैनिक नंगी तलवारें लिए खड़े हैं, वही 'अबू जहल' है। वह कहते हैं अभी मेरी उंगली नीचे नहीं गिरी थी कि वे दोनों लड़के जिस प्रकार शिकारी पक्षी श्येन चिड़िया पर आक्रमण करता है उस प्रकार से ललकारते हुए शत्रु की पंक्तियों में घुस गए। उन का यह आक्रमण ऐसा सहसा और अप्रत्याशित था कि उनके विरुद्ध किसी व्यक्ति की तलवार न उठ सकी और वे सनसनाते हुए वाण के समान अबूजहल तक जा पहुँचे। उसके अंग रक्षकों ने उन पर प्रहार किए। एक का प्रहार खाली गया तथा दूसरे पहरेदार के प्रहार से एक युवक का हाथ कट गया, परन्तु दोनों में से किसी ने कोई परवाह न की और केवल अबूजहल को लक्ष्य बनाते हुए उस पर इतनी तीव्रता से आक्रमण किया कि वह गिर गया फिर उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। परन्तु तलवार चलाने की कला का अनुभव न होने के कारण उसका वध न कर सके। इस घटना से विदित होता है कि वे अत्याचार जो मक्का के लोग मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) पर करते रहते थे, वे निकट से देखने वालों को कितने भयानक दिखाई देते थे। अब भी उन अत्याचारों को इतिहास में पढ़कर एक सज्जन मनुष्य का हृदय कांपने लगता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं परन्तु मदीने के लोग तो उन लोगों के मुख से उन अत्याचारों के वृत्तान्त सुनते थे जिन्होंने वे अत्याचार अपनी आँखों से देखे थे। एक ओर रसूले करीम (स.अ.व.) का पवित्र और मैत्रीपूर्ण जीवन देखते थे तथा दूसरी ओर मक्का वालों की अमानवीय नृशंस घटनाएं सुनते थे तो उनके हृदय इस खेद से भर जाते थे कि अपने मैत्रीपूर्ण और शान्त स्वभाव के कारण हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने उसकी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन नहीं किया। काश ! व हमारे सामने आ जाएं तो हम उन्हें बताएं कि यदि उनके अत्याचारों का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया तो उसका कारण यह नहीं था कि मुसलमान कमज़ोर थे अपितु उसका कारण यह था कि मुसलमानों को ख़ुदा तआला की ओर से उनका प्रत्युत्तर देने की आज्ञा नहीं थी। मुसलमानों के हृदयों की दशा का अनुमान इस बात से भी हो सकता है कि युद्ध आरम्भ होने से पूर्व अबू-जहल ने एक बद्दू सरदार को इस बात के लिए भेजा कि वह अनुमान लगाए कि मुसलमानों की संख्या कितनी है। जब वह वापस पहुँचा तो उसने बताया कि मुसलमान तीन सौ या सवा तीन सौ के लगभग होंगे। इस पर अबू जहल और उसके साथियों ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि मुसलमान अब हम से बचकर कहां जाएंगे, परन्तु उस व्यक्ति ने कहा— हे मक्का वालो ! मेरी नसीहत तुम्हें यही है कि इन लोगों से युद्ध न करो क्योंकि मैंने मुसलमानों के जितने लोग देख हैं उन्हें देख कर मुझ पर यह प्रभाव पड़ा है कि ऊँटों पर मनुष्य सवार नहीं, मौतें सवार हैं अर्थात् उन में से प्रत्येक व्यक्ति मरने के लिए रणभूमि में आया है, जीवित वापस जाने के लिए नहीं आया और जो व्यक्ति मृत्यु को स्वयं के लिए आसान कर लेता है और मृत्यु को गले लगाने के लिए तत्पर हो जाता है, उसका सामना करना कोई साधारण बात नहीं हुआ करती।

एक महान भविष्यवाणी का पूर्ण होना

जब युद्ध आरम्भ होने का समय आया तो नबी करीम (स.अ.व.) जहां बैठ कर दुआ कर रहे थे बाहर आए और फ़रमाया سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ अर्थात् शत्रु-सेना पराजित हो जाएगी और पीठ दिखा कर रणभूमि छोड़ जाएगी। आप[स.] के ये कथित शब्द क़ुर्आन करीम की एक भविष्यवाणी थी जो इस युद्ध के संबंध में क़ुर्आन करीम में मक्का में ही उतरी थी। मक्का में जब मुसलमान काफ़िरों के निरन्तर अत्याचारों का शिकार हो रहे थे तथा इधर-उधर हिजरत करके जा रहे थे। ख़ुदा तआला ने रसूले करीम (स.अ.व.) पर क़ुर्आन करीम की ये आयतें उतारीं

शेष ..

पृष्ठ 2 का शेष

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने ब्रिटेन की संसद, European Parliament, Capitol Hill (वॉशिंगटन डी. सी.), कनाडाई संसद, डच संसद तथा न्यूज़ीलैंड की संसद सहित विश्व के अनेक महत्वपूर्ण मंचों पर शांति और न्याय के विषय में संबोधन प्रदान किए हैं।

इसी प्रकार, हुज़ूर अनवर ने विश्व के नेताओं को व्यक्तिगत रूप से पत्र भी लिखे हैं, जिनमें उन्हें न्याय स्थापित करने की ओर ध्यान दिलाया गया है ताकि संसार और अधिक विनाश की ओर न बढ़े।

आज के इस अत्यंत संकटपूर्ण समय में, जब अनिश्चितता और भय निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ का शांति, सामंजस्य और न्याय का संदेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और तत्काल ध्यान की माँग करता है।

महिलाओं और सज्जनों ! इतिहास हमें यह शिक्षा देता है और हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ बार-बार हमें स्मरण कराते हैं कि स्थायी शांति शक्ति के बल पर स्थापित नहीं की जा सकती, बल्कि वास्तविक और दीर्घकालिक शांति केवल न्याय, ईमानदारी और पारस्परिक सम्मान के माध्यम से ही संभव है।

यदि हम एक शांतिपूर्ण विश्व देखना चाहते हैं तो न्याय को सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए समान रूप से लागू करना होगा।

खुदा तआला मानवता को शांति, न्याय और मेल-मिलाप का मार्ग दिखाए। आमीन।

ग्रेग स्टैफर्ड सांसद (Greg Stafford MP)

फ़ार्नहैम और बॉर्डन के सांसद

मेरे लिए यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि मैं नेशनल पीस सिम्पोज़ियम में आपके साथ सम्मिलित हूँ और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों से आए हुए अतिथियों का अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वागत करता हूँ।

इस वर्ष के सिम्पोज़ियम का विषय "पूर्ण वैश्विक न्याय : वास्तविक शांति की नींव" इससे अधिक समयानुकूल नहीं हो सकता था। ऐसे समय में जब दुनिया पहले से कहीं अधिक विभाजन, अनिश्चितता और बेचैनी का शिकार प्रतीत होती है, इस प्रकार के आयोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

स्थानीय सांसद होने के नाते तथा जमाअत अहमदिया मुस्लिमा के लिए स्थापित सर्वदलीय संसदीय समूह (All-Party Parliamentary Group) के सचिव के रूप में, मुझे यह अवसर मिला है कि मैं स्वयं देख सकूँ कि यह जमाअत विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर कितनी महान सेवाएँ अंजाम दे रही है।

जो बात सदैव मुझे प्रभावित करती है, वह यह है कि यहाँ शांति को केवल एक वैचारिक कल्पना या नारे के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से स्थापित किया जाता है। सेवा, परोपकार और लोगों को एक-दूसरे के निकट लाना यही वे व्यावहारिक उपाय हैं जिनके माध्यम से यह जमाअत शांति को बढ़ावा देती है।

उन्होंने कहा कि शांति की नींव इस बात में निहित है कि हम अपने दैनिक जीवन में एक-दूसरे के साथ किस प्रकार रहते हैं। यदि हम अपने स्थानीय समाज में शांति को बनाए नहीं रख सकते, तो वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के प्रयासों का महत्व बहुत कम रह जाता है।

स्थायी शांति केवल साथ रहने से स्थापित नहीं होती, बल्कि निरन्तर संबंधों और पारस्परिक समझ के माध्यम से विकसित होती है।

मैं विशेष रूप से हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ का उल्लेख करना चाहूँगा, जिनका शांति, न्याय और पारस्परिक सम्मान का सतत संदेश इस जमाअत से कहीं आगे बढ़कर सम्पूर्ण विश्व में प्रभाव डाल रहा है।

राइट ऑनरेबल सर एड डेवी सांसद (Rt. Hon. Sir Ed Davey MP)

उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह अत्यन्त सम्मान की बात है कि मुझे एक और पीस सिम्पोज़ियम में आमंत्रित किया गया है।

मैं सभी अतिथियों की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं अपने देश में किसी अन्य ऐसी संस्था को नहीं जानता जो इतनी निरन्तरता और दृढ़ता के साथ शांति की आवाज़ बुलंद करती हो तथा सभी धर्मों के लोगों, बल्कि धर्म से असंबद्ध व्यक्तियों को भी एक स्थान पर एकत्रित करती हो, ताकि उनके बीच संवाद स्थापित हो सके, जो हमारे लिए भी और विभिन्न देशों के मध्य शांति की स्थापना के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ एक ऐसे वैश्विक नेता हैं जो शांति के महत्व पर सबसे अधिक बल देते हैं।

सीमा मल्होत्रा सांसद (Seema Malhotra MP)

फ़ेल्थम और हेस्टन की सांसद

उन्होंने कहा कि संघर्षों को रोकने और एक अधिक समृद्ध तथा शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हम देखते हैं कि सामाजिक संस्थाएँ, धार्मिक संगठन और नागरिक नेता सभी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि लोगों और समुदायों के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों को एक-दूसरे के निकट लाया जा सके।

इसी कारण मैं जमाअत अहमदिया की सेवाओं तथा इस क्षेत्र में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के नेतृत्व की सराहना करती हूँ, जिसे मैंने पिछले वर्षों में निकट से देखा है।

शांति, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए आपकी निरन्तर आवाज़ विश्वभर के लोगों के हृदयों में गूँजती रही है।

हमने यूक्रेन और ग़ज़्ज़ा में युद्ध की भयावहताएँ देखी हैं। हमने बढ़ते हुए तनाव देखे हैं और हाल ही में ईरान से संबंधित संघर्ष को भी देखा है।

हम न तो यह अनुमति दे सकते हैं और न ही देनी चाहिए कि युद्ध हमारी पीढ़ी की पहचान बन जाए, बल्कि इसके विपरीत हमारी विरासत शांति होनी चाहिए।

आज की इस सभा में आमंत्रित करने तथा मानवता की सेवा और स्थायी शांति की स्थापना के लिए आपके सभी प्रयासों पर मैं एक बार फिर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज इस सिम्पोज़ियम में आपके साथ सम्मिलित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। धन्यवाद।

पीस सिम्पोज़ियम और हुज़ूर अनवर के संबोधन पर कुछ विशिष्ट अतिथियों की प्रतिक्रियाएँ

नीचे पीस सिम्पोज़ियम के संबंध में आयोजकों और कुछ विशिष्ट अतिथियों की प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत हैं:

सम्माननीय रफ़ीक़ अहमद हयात साहिब

(अमीर जमाअत अहमदिया यूके)

सम्माननीय अमीर साहिब यूके ने समारोह के बाद *अल-फ़ज़्ल इंटरनेशनल* के प्रतिनिधि को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध और रक्तपात जारी है, जिसके कारण लोग अत्यन्त चिंता और परेशानी में हैं। विशेष रूप से ग़ज़्ज़ा, लेबनान, सूडान और अफ़ग़ानिस्तान जैसे क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है।

पिछले अनेक वर्षों के प्रयासों के बावजूद युद्धों से कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ, बल्कि वे केवल हानि और विनाश का कारण बने हैं।

अमीर साहिब ने कहा कि यदि विश्व के नेता अपने अहंकार को त्याग दें और हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की शिक्षाओं तथा शांति और मानवता के संदेश पर विचार करें, तो संसार में बेहतर शांति स्थापित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि कुछ वैश्विक नेता केवल युद्धों के लिए आर्थिक अथवा राजनीतिक सहायता की बात करते हैं, जबकि वास्तविक आवश्यकता यह है कि युद्धों को समाप्त करके स्थायी शांति की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाए जाएँ।

पीस सिम्पोज़ियम के संदेश के प्रसार के संबंध में उन्होंने कहा कि यह सामाजिक माध्यमों (सोशल मीडिया) का युग है और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों तक संदेश पहुँच जाता है।

यूके के पीस सिम्पोज़ियम में ख़िलाफ़त की उपस्थिति की विशिष्टता के बारे में उन्होंने कहा कि इसी कारण इसकी बहुत अधिक महत्ता है। अनेक देशों से अतिथि आए हैं, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं। वे सभी यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर लौटेंगे।

बड़े देशों द्वारा आदर्श प्रस्तुत करने के विषय में उन्होंने कहा कि जब तक बड़े देश नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे और शांति की ओर अग्रसर नहीं होंगे, तब तक छोटे देश भी उनके पीछे-पीछे उसी दिशा में चलते रहेंगे।

सम्माननीय फ़रीद अहमद साहिब

(सेक्रेटरी विदेश विभाग, जमाअत अहमदिया यूके)

सम्माननीय फ़रीद अहमद साहिब ने नेशनल पीस सिम्पोज़ियम की पिछले बीस वर्षों की प्रगति और प्रभाव के बारे में कहा कि यह आयोजन केवल संख्या की दृष्टि से ही नहीं बढ़ा है, बल्कि इसके संदेश और प्रभाव में भी निरंतर वृद्धि हुई है।

आज विभिन्न देशों से लोग इसमें भाग लेते हैं और हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के शांति, मानवता और सहानुभूति पर आधारित संदेश से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।

उन्होंने कहा कि एम.टी.ए. के माध्यम से यह संदेश पूरी दुनिया तक पहुँच रहा है और यह आयोजन वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान युग में संघर्ष पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं, इसलिए हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ अब पहले से भी अधिक स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से शांति और मानवता के समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं।

Claire Desmond

(Christian Solidarity Worldwide)

उन्होंने कहा कि यह आयोजन विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकत्रित करने का उत्कृष्ट अवसर सिद्ध हुआ। यहाँ विभिन्न विचारों को सुनने और विशेष रूप से हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के संबोधन से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला।

उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि शांति के लिए केवल विश्व नेताओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज और अपने प्रभाव क्षेत्र में अपना दायित्व निभाना होगा।

आज की कठिन परिस्थितियों में ऐसे आयोजन आशा, साहस और एकता की भावना उत्पन्न करते हैं। लोगों से मिलना और उनके साथ संवाद करना अत्यन्त प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक अनुभव रहा।

उन्होंने कहा, "आप प्रयास जारी रखें, क्योंकि यही प्रयास शांति लेकर आते हैं।"

Linda Stephens

श्रीमती लिंडा स्टीफ़न्स, जो "Women's Wellbeing" नामक संस्था का संचालन करती हैं और विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, रजोनिवृत्ति से पूर्व और पश्चात की देखभाल तथा मातृत्व से पहले और बाद की देखभाल के क्षेत्र में कार्य करती हैं, उन्होंने बताया कि वॉन जेम्स फ़ार्मेसी से सम्बद्ध बुशरा उन्हें यहाँ लेकर आई थीं और वे पहले भी इस आयोजन में भाग ले चुकी हैं।

उनके अनुसार इस बार का अनुभव अत्यन्त विशेष था क्योंकि उन्होंने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के संबोधन तथा वातावरण में व्याप्त शांति, प्रेम और पारस्परिक संबंधों की भावना को बहुत गहराई से अनुभव किया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में संसार संभावित वैश्विक युद्ध के खतरे का सामना कर रहा है, इसलिए मानवता, एकता और शांति का संदेश अत्यन्त आवश्यक है।

उन्होंने जमाअत अहमदिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रेम, पारिवारिक मूल्यों, विभिन्न धर्मों के सम्मान और वैश्विक भाईचारे का व्यावहारिक उदाहरण दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि इस आयोजन में भाग लेकर वे स्वयं को सौभाग्यशाली और धन्य अनुभव करती हैं।

Catherine Clark तथा Alex Page

इन दोनों ने इस आयोजन के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रम स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय समुदायों को निकट लाने तथा प्रेम और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों का एक स्थान पर बैठकर संवाद करना गलतफहमियों को दूर करता है तथा एक-दूसरे की शक्तियों और कमजोरियों को समझने का अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक शांति के लिए संवाद और संबंध अत्यन्त आवश्यक हैं, क्योंकि जितना अधिक लोग एक-दूसरे को समझेंगे, उतने ही कम संघर्ष होंगे।

दोनों अतिथियों ने हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के संबोधन को समारोह का सबसे प्रभावशाली भाग बताया, जबकि कैथरीन क्लार्क ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मुलाकात का सम्मान भी प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने एक अविस्मरणीय अनुभव बताया।

Jill Barstow

(चर्च ऑफ़ जीज़स क्राइस्ट ऑफ़ लैटर-डे सेंट्स, इंटरफ़ेथ मिल्टन कीन्स की संयोजक)

उन्होंने कहा कि हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ का संबोधन अत्यन्त प्रभावशाली था।

यह स्पष्ट था कि आप विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों से गहराई से परिचित हैं और आपका दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक है।

एक धार्मिक नेता के मुख से युद्धों, संघर्षों और शांति के महत्व पर इतनी निर्भीकता और संवेदनशीलता के साथ बातें सुनना अत्यन्त सुखद अनुभव था।

वास्तव में यह एक अत्यन्त प्रेरणादायक और आत्मिक शांति प्रदान करने वाला आयोजन था।

Sarah Day

(मेयोरेस ऑफ़ न्यू पोर्ट पैग्नेल)

उन्होंने कहा:

"संबोधन के दौरान मैं लगातार सहमति में सिर हिला रही थी, क्योंकि कही गई प्रत्येक बात से मैं सहमत थी। मुझे कुछ वर्ष पहले का हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ का संबोधन भी याद आ गया। आप ये बातें बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की विशेषता यह है कि आप यह नहीं कहते कि 'मैंने पहले ही चेतावनी दी थी', लेकिन सत्य यही है कि आपने वास्तव में चेतावनी दी थी और आज भी दी है।

आपने जो कुछ कहा, वह सब हमारी आँखों के सामने घटित हो रहा है या होने वाला है। यह सोचकर भय अवश्य होता है, किन्तु आपका संबोधन अत्यन्त प्रभावशाली और गहन प्रभाव छोड़ने वाला था।"

संपादक 'बदर' हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ तथा जमाअत अहमदिया ब्रिटेन की सेवा में सफल पीस सिम्पोज़ियम के आयोजन पर हार्दिक बधाई प्रस्तुत करता है। साथ ही यह प्रार्थना करता है कि ख़ुदा तआला संसार को हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की मुबारक और शांति प्रदान करने वाली आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनने की तौफ़ीक़ प्रदान करे तथा संसार शांति और सुरक्षा का केंद्र बन जाए।

अल्लाहुम्मा आमीन।

(साभार: अल-फ़ज़्ल इंटरनेशनल, 23 मई 2026)

★ ★ ★

पृष्ठ 1 का शेष

फिर आपने पूछा, "यह कौन-सा महीना है?"लोगों ने उत्तर दिया, "यह (ज़िलहिज्जा का) अत्यन्त सम्मानित महीना है।"

फिर आपने पूछा, "यह कौन-सा नगर है?"लोगों ने उत्तर दिया, "यह (मक्का का) अत्यन्त सम्मानित नगर है।"

इस पर आपने फ़रमाया: "तुम्हारे प्राण और तुम्हारी संपत्तियाँ (रावी को याद नहीं कि आपने सम्मान-प्रतिष्ठा का भी उल्लेख किया था या नहीं) उसी प्रकार सम्मान और पवित्रता के अधिकारी हैं, जिस प्रकार यह दिन, यह महीना और यह नगर सम्मान और पवित्रता वाले हैं। अर्थात् जिस प्रकार तुम इनके अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसी प्रकार लोगों के प्राणों, उनकी संपत्तियों और उनकी प्रतिष्ठा का अपमान करना भी अनुचित और अवैध है।"

फिर आपने पूछा:

"क्या मैंने यह महत्वपूर्ण संदेश पहुँचा दिया है?"

लोगों ने निवेदन किया, "हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सब कुछ पहुँचा दिया है।"

तब आपने फ़रमाया:

"जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, वे इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुँचा दें जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं।"

★ ★ ★

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.akhbarbadr.in

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553
Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
POSTAL REG. No.GDP 45/ 2026-2028 Vol. 11 Thursday 18 June 2026 Issue No. 25

Act. MANAGER :
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mobile : +91-9815639670
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com
www.alislam.org/badr

सीरतुल-महदी

(लेखक: हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एम.ए रज़ियल्लाहु अन्हु)

{58}

बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम। हज़रत वालिदा साहिबा ने मुझसे बयान किया कि तुम्हारे ताया के यहाँ एक लड़की और एक लड़का पैदा हुए थे, मगर दोनों बचपन में ही वफ़ात पा गए। लड़की का नाम इस्मत और लड़के का नाम अब्दुल क़ादिर था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अपने भाई की संतान से बहुत प्रेम था। इसी कारण आपने अपनी बड़ी लड़की का नाम भी इस्मत रखा था।

{59}

बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम। ख़ाकसार निवेदन करता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पहली पत्नी से दो लड़के पैदा हुए थे, अर्थात् मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहिब और मिर्ज़ा फ़ज़ल अहमद। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अभी मानो स्वयं बच्चे ही थे कि मिर्ज़ा सुल्तान अहमद पैदा हो गए थे।

और हमारी वालिदा साहिबा से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की निम्नलिखित संतान हुई

इस्मत, जो 1886 में पैदा हुई और 1891 में वफ़ात पा गई।

बशीर अहमद अव्वल, जो 1887 में पैदा हुए और 1888 में वफ़ात पा गए।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, जो 1889 में पैदा हुए।

शौकत, जो 1891 में पैदा हुई और 1892 में वफ़ात पा गई।

ख़ाकसार मिर्ज़ा बशीर अहमद, जो 1893 में पैदा हुआ।

मिर्ज़ा शरीफ़ अहमद, जो 1895 में पैदा हुए।

मुबारका बेगम, जो 1897 में पैदा हुईं।

मुबारक अहमद, जो 1899 में पैदा हुए और 1907 में वफ़ात पा गए।

अमतुन्नसीर, जो 1903 में पैदा हुई और 1903 में ही वफ़ात पा गई।

अमतुल हफ़ीज़ बेगम, जो 1904 में पैदा हुईं।

अमतुल हफ़ीज़ बेगम के अतिरिक्त, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के समय केवल तीन वर्ष की थीं, बाकी सभी बच्चों का विवाह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने जीवनकाल में कर दिया था।

{60}

बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम। हज़रत वालिदा साहिबा ने मुझसे बयान किया कि जब तुम बच्चे थे और शायद दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, तो एक बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आवश्यकता से निवृत्त होकर आए। उस समय तुम एक चारपाई पर उल्टी-सीधी छलांगें लगा रहे थे और कलाबाज़ियाँ खा रहे थे। आपने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, "देखो, यह क्या कर रहा है।" फिर फ़रमाया, "इसे एम.ए. कराना।"

ख़ाकसार निवेदन करता है कि यह वाक्य सामान्य बातचीत में सहज रूप से निकला हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यदि विचार किया जाए तो इसमें दो-तीन भविष्यवाणियाँ निहित हैं।

{61}

बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम। हज़रत वालिदा साहिबा ने मुझसे बयान किया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की यह आदत थी कि रात को सोते समय हमेशा पायजामा उतारकर तहबंद बाँध लिया करते थे और प्रायः कुर्ता भी उतारकर सोते थे।

इसके अतिरिक्त ख़ाकसार निवेदन करता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब आवश्यकता से निवृत्त होने के बाद पवित्रता से फ़ारिग होते थे, तो अपना हाथ मिट्टी से मलकर फिर पानी से धोया करते थे।

{62}

बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम। ख़ाकसार निवेदन करता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कभी-कभी घर में बच्चों को कुछ कहानियाँ भी सुनाया करते थे। उनमें एक अच्छे और बुरे आदमी की कहानी भी प्रायः सुनाते थे, जिसका सार यह था कि एक बुरा आदमी था और एक अच्छा आदमी था। दोनों ने अपने-अपने स्वभाव के अनुसार काम किए और अंततः बुरे आदमी का परिणाम बुरा हुआ तथा अच्छे आदमी का परिणाम अच्छा हुआ।

वालिदा साहिबा ने बताया कि बैंगन की एक कहानी भी आप सुनाते थे। उसका सार यह था कि एक मालिक था। उसने अपने नौकर के सामने बैंगन की प्रशंसा की तो नौकर ने भी बहुत प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद मालिक ने बैंगन की निंदा की तो नौकर भी निंदा करने लगा। मालिक ने पूछा, "यह क्या बात है? उस दिन तो तुम उसकी प्रशंसा करते थे और आज निंदा कर रहे हो।"

नौकर ने उत्तर दिया, "मैं तो हुज़ूर का नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं हूँ।"

{63}

बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम। ख़ाकसार निवेदन करता है कि एक बार हम तीनों भाइयों ने मिलकर एक एयरगन मँगवाने का इरादा किया, मगर हम यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन-सी मँगवाई जाए। अंततः हमने पर्चियाँ लिखीं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से एक पर्ची निकलवाई। जो बंदूक निकली, वही हमने मँगवा ली। फिर उससे बहुत शिकार किया।

(यह 22 बोर की बी.एस.ए. एयर राइफल थी।)

{64}

बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम। ख़ाकसार निवेदन करता है कि एक बार हम घर के बच्चे मिलकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सामने मियाँ शरीफ़ अहमद को चिढ़ाने लगे कि अब्बा को तुमसे प्रेम नहीं है, बल्कि हमसे है। मियाँ शरीफ़ बहुत चिढ़ जाया करते थे।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें रोका भी कि अधिक तंग न करो, मगर हम बच्चे थे, इसलिए लगे रहे। अंततः मियाँ शरीफ़ रोने लगे। उनकी आदत थी कि जब वे रोते थे तो उनकी नाक से बहुत अधिक रसा बहता था।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उठे और चाहा कि उन्हें गले लगा लें ताकि उनका संदेह दूर हो जाए, मगर वे इस कारण कि उनकी नाक बह रही थी, दूर-दूर हटते जाते थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम समझते थे कि शायद उसे कोई तकलीफ़ है, इसलिए वह दूर हट रहा है।

इस प्रकार काफ़ी देर तक यही होता रहा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उन्हें अपनी ओर खींचते थे और वे दूर-दूर हटते जाते थे। और चूँकि हमें मालूम था कि वास्तविक बात क्या है, इसलिए हम पास खड़े लगातार हँसते जाते थे। शेष ..

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad